

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
सत्यमेव जयते  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265280  
SG-DL-E-07082025-265280

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 165
No. 32]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947	[N. C. T. D. No. 165

भाग II—I  
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(55)/Pt. File/2025/282.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

सं. 480/कार्यक्रम/2025.— यतः, श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई, 2025 को त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है; और

यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड (2) के अंतर्गत, उक्त रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाना अपेक्षित है; और

यतः राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख नियत की जानी अपेक्षित है;

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की उक्त रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

(आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है-

- (क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार);
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 25 अगस्त, 2025 (सोमवार); और
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा - 09 सितंबर, 2025 (मंगलवार)

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

आदेश से

टोंगमिनथांग मिसाओ, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

**OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI****NOTIFICATION**

Delhi, the 7th August, 2025

**No. CEO/COE/102(55)/Pt. File/2025/282.**—The following is published for general information:—

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2025

**No. 480/Programme/2025.**—Whereas, a vacancy in the office of the Vice-President of India has occurred by reason of resignation of Sh. Jagdeep Dhankhar on 21<sup>st</sup> July, 2025; and

Whereas, under clause (2) of Article 68 of the Constitution of India, an election to fill the said vacancy is required to be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy; and

Whereas, under sub-section 4 of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to appoint the dates for the election to fill the office of the Vice President of India;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

(A) calls upon the Electoral College, referred to in Article 66 of the Constitution, to elect a person to fill the said vacancy in the office of the Vice-President of India, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

(B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints-

- a) the 21<sup>st</sup> August, 2025 (Thursday), as the last date for making nominations;
- b) the 22<sup>nd</sup> August, 2025 (Friday), as the date for scrutiny of the nominations;
- c) the 25<sup>th</sup> August, 2025 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
- d) the 09<sup>th</sup> September, 2025 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.

By Order

TONGMINTHANG MISAO, Deputy Chief Electoral Officer, Delhi